कार्यालयः–निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

वित्तीय वर्ष 2024–25

कृपया सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि0यो0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–96/2024/1010/सैंतीस–2–2024/001–1(43)/02, दिनांकः 28 मई 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभिन्न मानक मदों में **धनराशि रू0–300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति** प्राप्त हुई है, के कम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः672/बजट/29(5)/अनु0सं0–83/07/2024–25, दिनांक 03.06.2024 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त **धनराशि रू0–300.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है,** का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवंटित धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करेंः–

1– शासनादेश दिनांक 28 मई, 2024 एवं वित्त नियमों तथा वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 03.06.2024 द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

2– योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजना में उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। यदि जिला योजनान्तर्गत परिव्यय स्वीकृति नही है, तो जिला योजना समिति से परिव्यय स्वीकृति कराने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का व्यय किया जाय।

3– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।

4– मानक मद 02 मद में आवंटित धनराशि का व्यय प्रक्षेत्र पर रखे गये दैनिक श्रमिकों के मजदूरी के बीजकों का भुगतान किया जाय।

5– योजना के मानक–मद 39 मद में आवंटित धनराशि का व्यय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही औषधि तथा रसायन का कय किया जाये। अनुमोदित सूची के बाहर से कय करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय।

6– योजना के मानक मद–40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा एवं मानक मद–42–अन्य व्यय मदों में आवंटित धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री को जेम पोर्टल/विभागीय मानकों का पालन करते हुए व्यय किया जाय।

7– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक बिड/कोटेशन आमंत्रित नही किये जायेगें।

8– मानक मद–43–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से प्रक्षेत्र पर ब्रीडिंग स्टाक पूर्ण करने हेतु पशुओं का कय/राशन एवं अन्य आदि का कय किया जायेगा तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा उक्त मद में आवंटित धनराशि से जनपद में पशुचिकित्सालयों पर स्वीकृत सूकर सांड केन्द्रो/अंशदान वितरित करने हेतु पशुओं का कय/राशन एवं अन्य आदि का कय किया जायेगा। नर सूकर सांड कय करने हेतु अपनी मांग अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय।

9– प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध मादा सूकरों में ''इनब्रीडिंग'' से बचने हेतु अन्य प्रक्षेत्रों से नर सूकरों का कय किया जाय, जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सकें। यदि पैरेन्ट स्टाक में प्रजनन योग्य मादा न हो तो उनको अनुपयोगी कर विचयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे साथ ही उसके स्थान पर नया पैरेन्ट स्टाक (मादा) का कय किया जाय, जिसके लिये अपना मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10— मानक मद—29—अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष शासनादेशों के आलोक में आगणन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये।

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि को उपरोक्त दिये गये आदशों/निर्देशों के अनुपालन एवं वित्त नियमों के अनुसार ही व्यय की जाये।

उपरोक्त दिये गये दिशा—निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी। योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारी से की जायेगी। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

संलग्नकः—यथोपरि।

ह0/-
(डा0पी0एन0सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्याः /प0—1/9ख/सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना/बजट/2024—25, दिनांकः

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रक्षेत्र प्रबंधक/अधीक्षक/प्रभारी, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र (सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु) सैदपुर—ललितपुर, नीलगॉव—सीतापुर, आराजीलाइन्स—वाराणसी, निबलेट—बाराबंकी।

2— प्रभारी, सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र,सी0डी0एफ0 अलीगढ़।

3— मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, जनपद—अलीगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, आगरा, कौशाम्बी एवं रायबरेली।

4— उपनिदेशक(प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश महानगर, लखनऊ।

5— संयुक्त निदेशक, (नियोजन) मुख्यालय।

6— परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़—चन्दौली (सूकर प्रजनन केन्द्र हेतु)।

7— अपर निदेशक,ग्रेड—2, पशुपालन विभाग, मण्डल झॉसी, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, अलीगढ़, प्रयागराज, आगरा।

8— सुयक्त सचिव, पशुधन अनुभाग—2, उ0प्र0शासन को शासनादेश संख्या—96/2024/1010/सैंतीस—2—2024/001—1(43)/02, दिनांकः 28 मई 2024 के अनुक्रम में सादर संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित।

9— श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त दिशा—निर्देशों को विभागीय, बेवसाईट पर शीघ्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डा0पी0एन0सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

Disha Nirdesh Pig and Goat-18